न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

पुनर्विलोकन प्र0 क0 784–तीन/2005 विरूध्द आदेश दिनांक 21–03–05 पारित राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 1239–एक/2001.

व्दारकाप्रसाद पुत्र अयोध्याप्रसाद ठाकुर
निवासी पुलिया नं0 9, ठाकुरयाना मोहल्ला,
झांसी, उ0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

1– नन्दराम पुत्र स्व. दुर्गाप्रसाद चमार
2– रामजीलाल पुत्र स्व. दुर्गाप्रसाद चमार
3– बाबूलाल पुत्र स्व. दुर्गाप्रसाद चमार
अवयस्क व्दारा संरक्षक मॉ साजरानी विधवा
स्व. दुर्गाप्रसाद चमार
4– साजरानी विधवा स्व. दुर्गाप्रसाद चमार
समस्त निवासी ग्राम बनगॉव, तह0 निवाड़ी,
जिला टीकमगढ़, म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक – आवेदक
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 26.5. 2014 को पारित)

यह पुनर्विलोकन का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के निगरानी प्रकरण कमांक 1239–एक/2001 में पारित आदेश दिनांक 21–03–05 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण व्दारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने पर राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 21–3–04 व्दारा प्रकरण अति0 व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग एक ओरछा जिला टीकमगढ़ के व्यवहार वाद कमांक 102ए/94 में पारित आदेश दिनांक 15–7–04 के अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह पुनर्विलोकन आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि व्यवहार न्यायालय का आदेश अपील में जिला न्यायाधीश, टीकमगढ़ व्दारा निरस्त किया जा चुका है, इसलिये इसके आधार पर नामान्तरण के आदेश देने में त्रुटि की गयी है। उनका तर्क है कि जिला न्यायाधीश, टीकमगढ़ के अपील में पारित आदेश आदेश दिनांक 6–4–05 के प्रकाश में नामान्तरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाये।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि जिला न्यायाधीश व्दारा अपील में व्यवहार वाद में पारित आदेश निरस्त कर प्रकरण व्यवहार न्यायालय को साक्ष्य स्टेज से वापिस कर पुनः साक्ष्य लेकर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है। जिला न्यायाधीश के अपील में पारित आदेश से स्वत्व के प्रश्न का विनिश्चय नहीं हुआ है तथा व्यवहार न्यायालय के अंतिम आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की जा सकती है। अतः उन्होंने पुनर्विलोकन खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ राजस्व मण्डल के आदेश से स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल ने अति0 व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग एक ओरछा जिला टीकमगढ़ के व्यवहार वाद कमांक 102ए/94 में पारित आदेश दिनांक 15–7–04 के अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि करने के निर्देश दिये हैं। आवेदक व्दारा जिला न्यायाधीश, टीकमगढ़,म0प्र0 के रेगुलर अपील क0 62ए/2004 में पारित आदेश दिनाक 06–04–05 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है। जिला न्यायाधीश में अपील में व्यवहार वाद क0 102ए/94 में पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 15–7–04 को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को साक्ष्य की स्टेज से वापस किया जाकर पुनः साक्ष्य लेकर निराकरण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। व्यवहार वाद कमांक 102ए/94 में पारित आदेश दिनांक 15–7–04 जिला न्यायाधीश व्दारा निरस्त किया जा चुका है और उसका वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है, किन्तु जिला न्यायाधीश के प्रतिप्रेषित आदेश के पश्चात व्यवहार न्यायालय व्दारा स्वत्व के प्रश्न का निराकरण किया गया या नहीं, इस संबंध में उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी दशा में राजस्व मण्डल के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि तहसील न्यायालय व्यवहार न्यायालय के स्वत्व संबंधी अन्तिम आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की कार्यवाही विधिवत सम्पन्न करे।

6/ उपरोक्तानुसार पुनर्विलोकन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और तदनुसार राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 21–03–05 में संशोधन किया जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0